न्यायालय सिविल जज जू०डि० खलीलाबाद स्थान बस्ती।
मूलवाद सं० ५३५/२०१८
मोतीलाल बनाम विद्यालाल

०२-०८-२०१९

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पक्षकारों द्वारा वादबिन्दुओं के विरचन पर बल दिया गया। दौरान तर्क पक्षकारों से सुलह समझौते के बारे में पूछा गया, किन्तु अस्वीकार किए जाने की दशा में उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादबिन्दु विरचित किए गए -

०१- क्या वादी विवादित मकान प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र ए,बी,सी,डी के १/२ पश्चिमी भाग प्रदर्शित अक्षर ए,ई,एफ,जी एवं गैलरी जी,एच,सी,डी का मालिक व काबिज है?

०२- क्या वादी विवादित मकान प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र ए,बी,सी,डी के १/२ पश्चिमी भाग प्रदर्शित अक्षर ए,ई,एफ,जी एवं गैलरी जी,एच,सी,डी को अलग करा पाने का अधिकारी है?

०३- क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?

०४- क्या वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

०५- क्या दावा वादी धारा ३४ व ३८ विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?

०६- क्या वादी को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है?

०७- क्या दावा वादी पोषणीय नहीं है?

०८- क्या दावा वादी मौन स्वीकृति एवं विबन्धन के सिद्धान्त से बाधित है?

०९- क्या दावा वादी मिसकन्सीव्ड, मैलाफाइड एवं वेग है?

१०- क्या दावा वादी आदेश ७ नियम ११ जा०दी० से बाधित है?

११- क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

उपरोक्त वादबिन्दुओं के अलावा न तो कोई वादबिन्दु बनता है, न ही पक्षकारों द्वारा किसी अन्य वादबिन्दु के विरचन पर बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वादबिन्दु सं० ३ व ४ दिनांक १४-१०-२०१९ को पेश हो।

सिविल जज जू०डि०,
खलीलाबाद स्थान बस्ती।